क्रम-संख्या--595

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 मार्च, 1989

फाल्गुन 25, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 490/सत्रह-वि-1-1(क)-1-1989

लखनऊ, 16 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 16 मार्च, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1989)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 27 अक्टूबर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में, उपधारा (3) में,--

(एक) खंड (ए) में, सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए शब्द और अंक "4 रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "5 रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे;

(दो) खंड (सी), (डी) और (ई) में, सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए शब्द और अंक "2 रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "5 रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1988

3--(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

---

No. 490(2)/XVII-V-1-1(KA)1-1989

*Dated Lucknow, March 16, 1989*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 1989.

## THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1989

(U.P. ACT NO. 5 OF 1989)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the United Provinces Excise Act,* 1910.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 27, 1988.

Amendment of section 28 of U.P. Act no. 4 of 1910

2. In section 28 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3),—

(i) in clause (*a*), *for* the figure and words "4 per litre", occurring against item 2 (*a*) in the table, the figure and words "5 per litre" shall be *substituted*;

(ii) in each of the clauses (*c*), (*d*) and (*e*), *for* the figure and words "2 per litre" occurring against item 2 (*a*) in the table, the figure and words "5 per litre" shall be *substituted*.

Repeal and Saving

U. P. Ordinance No. 15 of 1988

3. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 212 सा० (विधा०)-(3869)-1989-850-(मैके०)।